रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269494
CG-DL-E-21012026-269494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947
No. 304] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

**का.आ. 332(अ).—** आयकर अधिनियम, 1961 (43 of 1961) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी' (पैन- AACAK0581H), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय को, निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:

(क) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
(ख) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान; और
(ग) बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी –

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
(ख) गतिविधियां तथा निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2024-25, 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 11 /2026/फा. सं. 300196/65/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**स्पष्टीकरण-ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2026

**S.O. 332(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society' (PAN AACAK0581H), a body constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to the said body namely, as follows:

(a) Grants received from the Central Government;
(b) Grants received from the State Government of Karnataka; and
(c) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society –

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income Tax Act, 1961, and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2024-25, 2025-26 relevant to the financial years 2023-24, 2024-25 and shall be applicable for assessment years 2026-27, 2027-28 & 2028-29 relevant to the financial years 2025-26, 2026-27 & 2027-28.

[Notification No. 11 /2026/F. No. 300196/65/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application made before the Board/Department] to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269495
CG-DL-E-21012026-269495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947
No. 305] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

**का.आ. 333(अ).—** केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, 'दादरा और नगर हवेली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (पैन: AAALT2225N )', दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा गठित एक बोर्ड को, निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, यथा:

(क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अन्तर्गत संगृहीत उपकर

(ख) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन अंतर्सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क; और

(ग) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज।

**2.** यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि दादरा और नगर हवेली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड –

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

**2.1** इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

**3**. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक के लिए लागू मानी जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 12/2026/फा. सं. 300196/52/2019-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**स्पष्टीकरण ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव [सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष इसके आवेदन के वर्ष से] देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2026

**S.O. 333(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Dadra and Nagar Haveli Building and Other Construction Workers Welfare Board (PAN: AAALT2225N)', a Board constituted by UT Administration of Dadra and Nagar Haveli, in respect of the following specified income arising to the said Board, as follows:

(a) Cess collected under the Building And Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996)

(b) Registration fees under the Buildings And Other Construction Workers' (Regulation of Employment And Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996); and

(c) Interest earned on bank deposits.

**2.** This notification shall be effective subject to the conditions that Dadra and Nagar Haveli Building and other Construction Workers Welfare Board –

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

**2.1** Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

**3.** This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020, to 2023-2024 relevant for the financial years F.Ys. 2018-19 to 2022-23.

[Notification No. 12/2026/F. No. 300196/52/2019-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [from the year of its application made before the CBDT/ Income-tax Department] to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269496
CG-DL-E-21012026-269496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 306] | नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947 |
| No. 306] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947 |


**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

**का.आ. 334(अ).—** केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित एजेंसी 'तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी' (पैन: AABTT6381N) को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) चालू परिचालन व्यय के लिए तमिलनाडु सरकार और निर्दिष्ट प्राधिकरणों यदि कोई हो सहित सरकारों से आवर्ती अंशदान/अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त राशि,

(ख) नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त सेवा शुल्क;

(ग) अन्य राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक बोर्डों के लिए प्रदान की गई सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं और आईटी परामर्श के लिए सेवा शुल्क और प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के लिए समय-समय पर अग्रिम रूप से प्राप्त, लंबित संवितरण के स्रोतों पर अर्जित ब्याज;

(घ) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) से प्राप्त लाभांश;

(ङ) यूआईडीएआई द्वारा नामांकन एजेंसियों को तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी के माध्यम से जारी पीईसी अनुदान पर प्रशासनिक लागत, जो नामांकन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रही है;

(च) अन्य राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक बोर्डों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर राजस्व साझाकरण;

(छ) कोई भी दूसरी इनकम जो भविष्य में सोसायटी के मकसद को पूरा करने के लिए हो सकती है; और

(ज) उपरोक्त (क) से (छ) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी, चेन्नई प्राधिकरण,-

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा ;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा ।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025, 2025-26 की अवधि के लिए लागू मानी जाएगी और कर निर्धारण वर्ष 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 13 /2026/फा. सं. 300196/38/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**स्पष्टीकरण ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2026

**S.O. 334(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Tamil Nadu e-Governance Agency',(PAN:AABTT6381N) an agency formed by the State Government of Tamil Nadu, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

(a) Amount received in the form of recurring contributions/Grants-in-aid from Governments including Government of Tamil Nadu and specified authorities, if any, towards current operational expenditure;

(b) Service charges received through Common Service Centre's for offering online services to citizens;

(c) Service charges for the software development projects and IT consultancies rendered for Other State Government Departments/Public Sector Undertakings/Statutory Boards and interest earned on sources of funds received in advance, pending disbursements, from time to time towards various projects sponsored;

(d) Dividend received from CSC e-Governance Services India Limited (CSC-SPV);

(e) Admin cost on PEC grants released by UIDAI to enrolment Agencies through Tamil Nadu e-Governance Agency which is functioning as enrolment Registrar;

(f) Revenue sharing on conducting online examination for other State Government Departments/Public Sector Undertakings/Statutory Boards;

(g) Any other income that may arise in future incidental to/furtherance of the objects of the society; and

(h) Interest earned on (a) to (g) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Tamil Nadu e-Governance Agency, Chennai Authority: -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the I;ncome-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income Tax Act, 1961 and withdrawal of exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period of assessment year 2024-2025, 2025-26 and shall apply with respect to the assessment year 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029.

[Notification No. 13/2026/F. No. 300196/38/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA